

प्रेषक,  
दीना नाथ,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,  
संबंधित जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भ0प्रा0 / सी-1978 / 2013-14 दिनांक 14.08.2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत कुल 5171 अनुसूचित जनजाति के कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु प्राथमिक (एनसीएलपी विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ( जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं ) हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 301.1718 लाख ( तीन करोड़ एक लाख सत्रह हजार एक सौ अस्सी मात्र) तथा राज्यांश के रूप में धनराशि रू0 100.3904 लाख ( एक करोड़ उन्तालिस हजार चालिस मात्र) अर्थात् कुल रू0 401.5622 लाख (रू0 चार करोड़ एक लाख छप्पन हजार दो सौ बीस मात्र) की धनराशि संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष में मात्र 220 कार्यदिवसों तक ही सीमित रखा जाएगा एवं इसी प्रकार कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- (5) जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा , जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (6) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु



संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदय दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -आयोजनागत-796-जनजातीय उप योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए -0101-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-(के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2040/दस-2013 दिनांक 06 नवम्बर 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।


### संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,  
  
( दीना नाथ )  
अनु सचिव।  


### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ / संबंधित मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी-उ0प्र0
- 8- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
- 9- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 / सहायक निरीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी, बेसिक शिक्षा-उ0प्र0
- 10- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 / वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 12- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
( दीना नाथ )  
अनु सचिव।

प्रेषक,  
दीना नाथ,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,  
संबंधित जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भ0प्रा0 / सी-1978 / 2013-14 दिनांक 14.08.2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत कुल 5171 अनुसूचित जनजाति के कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु प्राथमिक (एनसीएलपी विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ( जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं ) हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 301.1718 लाख ( तीन करोड़ एक लाख सत्रह हजार एक सौ अस्सी मात्र) तथा राज्यांश के रूप में धनराशि रू0 100.3904 लाख ( एक करोड़ उन्तालिस हजार चालिस मात्र) अर्थात् कुल रू0 401.5622 लाख (रू0 चार करोड़ एक लाख छप्पन हजार दो सौ बीस मात्र) की धनराशि संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष में मात्र 220 कार्यदिवसों तक ही सीमित रखा जाएगा एवं इसी प्रकार कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- (5) जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा , जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (6) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु



संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदय दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -आयोजनागत-796-जनजातीय उप योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं -0101-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-(के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2040/दस-2013 दिनांक 06 नवम्बर 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

### संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

( दीना नाथ )  
अनु सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ / संबंधित मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।
- 8- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
- 9- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 / संबंधित निरीक्षक, जिला शिक्षा उ0प्र0।
- 10- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 / वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 12- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( दीना नाथ )  
अनु सचिव।

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers

FY 2013-14: Grant -81 (Tribal Sub Plan) PLAN

2nd Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (TSP category) estimated to be working in 2013-14 as per approval of GOI	Total Funds Allocation in 2013-14 for 10 months (@ Rs 1000/per month) as per approval of GOI	Total Funds due for release in 2013-14 from Gr 81 after adjusting Opening Balance at Districts and reallocation of Funds Surrendered at the end of 2012-13	Remaining Funds due for Release in 2013-14 from Gr 81	Total Funds being released for cook-cum-helper honorarium as 2nd Installment		
						Central share	State share	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agra	0	770.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Aligarh	0	668.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Allahabad	0	1115.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Ambedkar nagar	0	526.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Auraiya	0	369.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Azamgarh	0	1067.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Badaun	0	957.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Baghpat	0	177.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Bahraich	45	910.10	4.9303	3.5203	2.6402	0.8801	3.5203
10	Ballia	1008	768.20	133.9638	106.5438	79.9079	26.6359	106.5438
11	Balrampur	359	517.40	34.5180	24.9480	18.7110	6.2370	24.9480
12	Banda	0	581.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Barabanki	0	769.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Bareilly	15	823.20	1.2098	0.8498	0.6374	0.2124	0.8498
15	Basti	0	668.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Bhadohi	0	367.80	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Bijnour	0	672.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Bulandshahar	2	653.40	0.2593	0.1993	0.1495	0.0498	0.1993
19	Chandauli	0	437.80	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Chitrakoot	0	363.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	CSM Nagar (Amethi)	0	568.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Deoria	1921	896.90	186.5950	139.5250	104.6438	34.8812	139.5250
23	Etah	0	473.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Faizabad	0	568.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Farrukhabad	0	481.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Fatehpur	0	643.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Firozabad	0	499.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Gautambuddh ngr	0	199.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Ghazipur	0	917.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Ghaziyabad	0	369.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Gonda	0	962.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Gorakhpur	41	945.20	4.2247	3.0847	2.3135	0.7712	3.0847
33	Hameerpur	0	313.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Hardoi	0	778.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Hathras (Mahamaya Ngr)	0	271.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Itawah	0	404.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	J.P. Nagar (Amroha)	0	373.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (TSP category) estimated to be working in 2013-14 as per approval of GOI	Total Funds Allocation in 2013-14 for 10 months (@ Rs 1000/per month) as per approval of GOI	Total Funds due for release in 2013-14 from Gr 81 after adjusting Opening Balalnce at Districts and reallocation of Funds Surrendered at the end of 2012-13	Remaining Funds due for Release in 2013-14 from Gr 81	Total Funds being released for cook-cum-helper honorarium as 2nd Installment		
						7	8	9
38	Jalaun	0	448.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Jaunpur	0	1070.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Jhansi	0	461.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Kannauj	0	415.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Kanpur Dehat	0	525.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Kanpur Nagar	0	576.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Kashiram Nagar (Kasganj)	0	360.90	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Kaushambi	0	407.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Kushinagar	0	726.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Lakhimpur Kheri	158	1039.80	15.8174	11.2274	8.4206	2.8068	11.2274
48	Lalitpur	68	411.00	7.2583	5.2783	3.9587	1.3196	5.2783
49	Lucknow	0	545.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Mahoba	0	282.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Mahrajganj	0	882.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Mainpuri	0	497.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Mathura	0	496.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	Mau	0	495.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Meerut	0	400.80	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Mirzapur	0	644.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Muradabad	0	416.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58	Muzaffarnagar	0	403.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
59	Pilibheet	0	519.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
60	Pratapgarh	0	708.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
61	Rai Bareilly	0	613.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
62	Rampur	0	509.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	Saharanpur	0	527.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
64	Santkabir Nagar	0	420.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
65	Shahjahanpur	0	907.60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
66	Shravasti	32	365.00	2.8591	2.0191	1.5143	0.5048	2.0191
67	Siddharthnagar	0	682.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
68	Sitapur	0	732.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
69	Sonbhadra	1522	507.60	154.4665	104.3665	78.2749	26.0916	104.3665
70	Sultanpur	0	650.70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
71	Unnao	0	735.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
72	Varanasi	0	498.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
73	SAMBHAL (BHEEM NAGAR)	0	447.50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
74	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	0	29.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
75	SHAMALI (PRABUDDH NAGAR)	0	191.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>TOTAL</b>		<b>5171</b>	<b>43403.20</b>	<b>546.1021</b>	<b>401.5622</b>	<b>301.1718</b>	<b>100.3904</b>	<b>401.5622</b>

(रुपये चार करोड़ एक लाख छपपन हजार दो सौ बीस मात्र)

के.ए.ए.  
(दीनानाथ)  
अनु सचिव  
१९